न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 49 / 2016 अपील (RCMS/2016/00008)
पंजीयन दिनांक — 01.06.2016
निर्णय दिनांक — 15.01.2019

1. श्री नरेन्द्र पिता श्री नारायणलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री अनोखीलाल पिता श्री नारायणलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री राधेश्याम पिता श्री नारायणलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री ओमप्रकाश पिता श्री नारायणलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती गीता बाई पत्नि श्री नारायणलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री शंकरलाल प्राकृतिक पिता श्री छगनलाल गौद पिता गोकल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जमनालाल पिता श्री छगनलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री सवराम पिता श्री छगनलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती टांकु बाई पिता स्व. श्री छगनलाल, पत्नि श्री मांगीलाल, निवासी गरावला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती प्यारी बाई पिता स्व. श्री छगनलाल, पत्नि श्री मोहनलाल, निवासी भाना खेड़ी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. श्री पन्नालाल पिता श्री पोखरलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

7. श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री पोखरलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

8. श्री रतनलाल पिता श्री पोखरलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

9. श्री रामेश्वर पिता श्री पोखरलाल ब्राह्मण, निवासी जन्ताई, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

— **रेस्पोडेन्टस्**

उपस्थितिः—

1. श्री संदीप श्रीमाली, सावन श्रीमाली — वकील अपीलान्टस्
2. श्री नरेश जणवा — वकील रेस्पोडेंटस् संख्या—6 से 9

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार, निकुंभ, नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 22.03.2016

निर्णय

दिनांक 15.01.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार, निकुंभ, नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 22.03.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जन्ताई तहसील बड़ी सादड़ी में खतोनी संख्या नई 161 कुल रकबा 2.4400 हैक्टयर स्थित है। रेकर्ड अनुसार खातेदार शंकरलाल (रेस्पोडेंट संख्या—1) ने सम्पूर्ण खाते में अपने 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेतागण श्री पन्नालाल, चन्द्रप्रकाश, रतनलाल एवं रामेश्वरलाल को बिकाव किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उप तहसीलदार, निकुंभ द्वारा रेस्पोडेंटस् संख्या—6 से 9 श्री पन्नालाल, चन्द्रप्रकाश, रतनलाल एवं रामेश्वरलाल के नाम नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 22.03.2016 स्वीकृत किया। उक्त जमीन में अपीलान्टस् का हक एवं हिस्सा होने, श्री शंकरलाल के श्री गोकल जी गोद चले जाने की स्थिति में उसका कोई हक व अधिकार नहीं होने से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 22.03.2016 से व्यथीत होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्टस् एवं वकील रेस्पोडेंटस् संख्या–6 से 9 उपस्थित, अन्य पक्षकारान अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.01.2019 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के परिवार के प्रथम पुरूष दौलतराम जी होकर उनके दो पुत्र हुए श्री छगनलाल व गोकल। स्व. श्री छगनलाल के चार पुत्र श्री शंकरलाल, जमनालाल, सवराम, नारायण एवं दो पुत्रियां टांकु बाई व प्यारी हुए। श्री गोकलजी के कोई औलाद नहीं होने से श्री शंकरलाल बाल्यावस्था में सभी रितिरिवाज के उपरान्त श्री गोकल के गौद चले गये। श्री शंकरलाल के श्री गोकल के गौद चले जाने से स्व. श्री छगनलाल की जायदाद में कोई हिस्सा व स्वामित्व आधित्य हक नहीं रहता है। श्री गौकल के निधन के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा उसकी जायदाद में उसका नाम अंकन करवाया गया। रेस्पोडेंट संख्या–1 शंकरलाल का राशनकार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि राजकीय दस्तावेज भी गोकल के पुत्र होने की हैसियत से रहे है, जिससे शंकरलाल को गोकल जी के गोद जाना प्रमाणित होता है। रेस्पोडेंट संख्या–1 शंकरलाल द्वारा गोकुलजी के पुत्र की हैसियत से उनके हक हिस्से की जायदाद खाता संख्या 51 आराजीयात स्थित जन्ताई को बेचान कर दिया गया है। श्री शंकरलाल द्वारा कपटपूर्वक एवं बदनियती से ग्राम जंताई स्थिति खाता संख्या 161 में कोई हक नहीं होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 को बेचान कर विक्रय पत्र पंजीयन करा दिया। खाता संख्या 161 पर शंकरलाल के आधिपत्य नहीं होने पर रेस्पोडेंट संख्या 6–9 द्वारा विक्रय पंजीयन कराने से उक्त अपराध के विरूद्ध पुलिस थाना निकुंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दिनांक 23.08.2013 को रेस्पोडेंट संख्या–1 शंकरलाल द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किया जिसमें गोद जाना एवं छगनालाल जायदाद में हक नहीं स्वीकारा गया। फिर भी विक्रय पत्र निष्पादित कराया। उक्त नामान्तकरण संख्या 58 फर्जी एवं फाल्स तरीके से पटवारी, उपतहसीलदार एवं भू–निरीक्षक द्वारा मिलीभगत कर गलत तैयार किया गया। अपीलान्ट नरेन्द्र द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश बड़ी सादड़ी में वाद पत्र एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2016 को सुनवाई हो ग्राम जंताई खाता संख्या 161 में उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जिसकी प्रमाणित प्रति उसी दिन 11.30 बजे प्राप्त कर उपतहसीलदार, निकुंभ एवं पटवारी को

दी फिर भी उन्होनें नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। साथ ही राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तकरण संख्या 58 स्वीकृत किया जिसमें काटफांस कर मिलीभगत कर गंभीर आपराधिक कृत्य नामांतरकरण खोला गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। सामान्यतः विधि अनुरूप नामान्तरकरण में पटवारी रिपोर्ट के बाद अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं दोनों की रिपोर्ट के बाद ग्राम पंचायत में अनापत्ति के लिये रिपोर्ट मांगी जाती है और ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति देने के पश्चात् नामान्तरकरण आदेश दिया जाता है। उक्त प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। किसी प्रकार से ग्राम पंचायत की कोई रिपोर्ट या अनापत्ति प्रमाण पत्र तथ्यात्मक टिप्पणी नहीं ली गई। इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण आदेश पुरी तरह से विधि विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2016 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है।

रेस्पोडेंटस् संख्या–6 से 9 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 आपस में रिश्तेदार होकर भाईबन्ध है और विरासत के अनुसार हिस्सा विवादित आराजीयात में दर्ज हुआ व हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या–1 ने रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 22.03.2016 को फैसल किया गया जिसकी अपील आप न्यायालय में की गई। प्रस्तुत अपील को सुनने का अधिकार विधि में जिला कलक्टर को अधिकृत कर रखा है, न्यायालय संभागीय आयुक्त में यह अपील लाई नहीं होती है, उनके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 ने उक्त भूमि के तन्हा खातेदार रेस्पोडेंट संख्या–1 ने जरिये विक्रय विलेख से उक्त भूमि खरीदकर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 के नाम तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक रेस्पोडेंट संख्या–1 के गोद जाने के कथन की बात है, हिन्दू विधि में सबसे बड़े पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता है और न ही ऐसी कोई लिखित ही है कि शंकरलाल गोद गया हो सिर्फ मन मकसुद व कयासी आधारों पर शंकरलाल को गोद पुत्र नहीं माना जा सकता और न ही ऐसी कोई गोद की रस्में साबित हुई और गोद पुत्र जैसे जटील प्रश्न नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं हो सकता है उसे तय करवाने के लिये अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में वाद पेश करें। अपीलान्ट का सहायक जिलाधीश बड़ी सादड़ी के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रति उसी दिन लेने एवं अन्य पक्षकारों को उसी दिन पता चलने का कथन सवर्था मिथ्या एवं मन मकसुद तरिके से अंकित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारण हो जाने की बात दौराने बहस की गई जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 के अधिवक्ता को नहीं थी। जब पता किया जो जानकारी हुई कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 को होने पर उन्होनें आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया और जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया और प्रारम्भिक डिक्री पुनः निरस्त कर दी। प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु आदेशित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकरण के यहां अपील पेश कर रखी है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कहना की प्रकरण का निस्तारण होकर उसका निर्णय हो चुका है, जो महज झुठ है और विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने तथा विधिक सिद्वान्तों के विपरित होने निरस्त फरमाई जावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए है–RRT 2018(1) 359, RRT 2018(2) 1355, RRT 2018(2) 1552, RRT 2016-17 (SUPP) 459

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट के दृढ़ता से तर्क किया कि श्री गोकलजी के कोई औलाद नहीं होने से श्री शंकरलाल बाल्यावस्था में सभी रितिरिवाज के उपरान्त श्री गोकल के गौद चले गये और श्री गोकल की मृत्यु उपरान्त उनकी सम्पत्ति का उपयोग उपभोग कर रहे है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 द्वारा कथन किया गया कि जहां तक रेस्पोडेंट संख्या–1 के गोद जाने के कथन की बात है, हिन्दू विधि में सबसे बड़े पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता है और न ही ऐसी कोई लिखित ही है कि शंकरलाल गोद गया हो सिर्फ मन मकसुद व कयासी आधारों पर शंकरलाल को गोद पुत्र नहीं माना जा सकता और न ही ऐसी कोई गोद की रस्में साबित हुई और गोद पुत्र जैसे जटील प्रश्न नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नहीं हो सकता है उसे तय करवाने के लिये अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में वाद पेश करें। अपीलान्ट अनुसार सहायक जिलाधीश, बड़ी सादड़ी के निषेधाज्ञा से ससमय रेस्पोडेंटस् को अवगत कराया गया परन्तु रेस्पोडेंट संख्या–6 से 9 ने इस आपत्ति जाहिर की। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। पक्षकारों ने खातेदारी अधिकार के सम्बन्ध में लम्बित वादों के सम्बन्ध में अलग अलग कथन किये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तथ्यों की जाना किया जाना प्रतीत नहीं होता है एवं विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उप तहसीलदार, निकुंभ का नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 22.03.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उप तहसीलदार, निकुंभ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, विभिन्न न्यायालयों के लम्बित वादों की स्थिति को देखते हुए, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 15.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official